



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: एफ-37/निदे.आयो./भवन निर्माण समिति II/2015/491-497 दिनांक :- 19/11/15

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.11.2015 का कार्यवाही विवरण

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(192)नविवि/3/2009 पार्ट-II जयपुर दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा गठित भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक श्री जोगाराम, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2015 को मध्याह्न 4.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 2. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. श्री अनिल माथुर, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, | सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त श्री रविराय वर्मा, उप नगर नियोजक भी बैठक में उपस्थित थे।

सर्वप्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2015 हेतु जारी ऐजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 से 40 में वर्णित प्रकरण। (परिशिष्ट-क पर प्रकरणों की सूची सलंगन हैं)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2015 हेतु जारी ऐजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 से 40 में मुख्यतः तीन प्रकार के प्रकरण वर्णित हैं। प्रथमतः वे प्रकरण जिनको पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति द्वारा सशर्त अनुमोदित कर दिया गया है, परन्तु सम्बन्धित आवेदनकर्ता द्वारा समिति द्वारा वांछित दस्तावेज/मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये अथवा भवन अनुमोदन शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। दूसरे प्रकार के वे प्रकरण हैं, जिनको समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाये जाने पर खारिज/निरस्त कर दिया गया है तथा तीसरे प्रकार के वे प्रकरण हैं, जिनमें आवेदनकर्ताओं द्वारा वांछित दस्तावेज/मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिसके अभाव में उनकी जांच की जाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है।

उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा अध्यक्ष द्वारा इन प्रकरणों में सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये गये :-

- A. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदित वे प्रकरण जिनमें समिति द्वारा भवन मानचित्रों का अनुमोदन किया जा चुका है, उन प्रकरणों में समिति द्वारा वांछित दस्तावेज/संशोधित मानचित्र प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को स्मरण-पत्र प्रेषित किया जावे तथा यदि भवन अनुज्ञा शुल्क बकाया हो, तो आवेदनकर्ता को शुल्क जमा करवाने हेतु पत्र लिखा जावे। वांछित दस्तावेज व बकाया शुल्क वसूली के उपरान्त नियमानुसार भवन मानचित्र जारी करने हेतु अग्रिम कार्यवाही समिति में रख कर की जावे।
 - B. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदित वे प्रकरण जिन्हें समिति द्वारा खारिज/निरस्त किया जा चुका है, उन प्रकरणों में प्रार्थी को सूचित कर प्रकरण दफतर दाखिल किये जावे।
 - C. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदित वे प्रकरण जिनमें आवश्यक दस्तावेज/मानचित्रों की पूर्ति नहीं की गई है, उनमें आवेदनकर्ता को पत्र लिखा जाकर दस्तावेजों की पूर्ति हेतु 10 दिवस का समय देकर दस्तावेजों की पूर्ति करवाई जावे तथा प्रकरणों की तकनीकी जाँच कर उपयुक्त पाये जाने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।
 - D. उपर्युक्त वर्णित 1 से 40 प्रकरणों का मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करावे कि आवेदनकर्ता द्वारा बिना भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किये भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ तो नहीं कर दिया गया है। यदि किसी भी आवेदनकर्ता द्वारा उक्त कृत्य किया जा रहा है, तो तुरन्त निर्माण कार्य रूकवाकर नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
2. लाईट इण्डस्ट्रीज एरिया के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 4530.66 वर्गमीटर भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला बहुमंजिला आवासीय भवन (फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।
आवेदक :- श्री रमेश भंसाली पत्र श्री पारसमल भंसाली।

लाईट इण्डस्ट्रीज एरिया के भूखण्ड संख्या 4 का औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख तत्कालीन मारवाड़ स्टेट द्वारा जारी किया गया था, उक्त पट्टे को समर्पित किया जाकर जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 02.07.1970 को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई थी। प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर प्राधिकरण की "प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012" के तहत प्रत्यायोजित एम्पावर्ड समिति की बैठक, दिनांक 13.08.2013 के प्रस्ताव संख्या 17 में निर्णय लिया जाकर औद्योगिक (लघु उद्योग) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर पुराना निर्माण कार्य है, जिसको तोड़ा जाकर प्रस्तावानुसार नवीन भवन निर्माण कार्य किया जावेगा। उक्त भूखण्ड के सामने 100' चौड़ी सड़क स्थित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 4530.66 वर्गमीटर है।

318

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त आकार के भूखण्ड पर बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स हेतु अग्रभाग में 12 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत, मानक एफ.ए.आर. 1.33, अधिकतम एफ.ए.आर 2.25 एवं अधिकतम ऊंचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार अग्रभाग में 12 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 2.22 एफ.ए.आर तथा दो बेसमेन्ट + स्टिल्ट + आठ मंजिल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है। उक्त भवन की ऊंचाई स्टिल्ट सहित 27.45 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 167.7 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा बेसमेन्ट, स्टिल्ट तथा खुले में 279.66 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊंचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिसका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लैट्स/निवास इकाईयो अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित दो बेसमेन्ट + स्टिल्ट + आठ मंजिल हेतु संशोधनानुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, भूजल विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। नियमानुसार उक्त भूखण्ड पर 1.33 एफ.ए.आर. देय है, अतः अधिक एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी देय होगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अन्य देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।



3. राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 क्षेत्रफल 33 बीघा 3 बिस्वा (53661.37 वर्गमीटर) भूमि पर मोटल्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती मधुबाला चौहान पत्नि श्री सुरेश चौहान

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 क्षेत्रफल 33 बीघा 3 बिस्वा (53661.37 वर्गमीटर) भूमि का मोटल्स प्रयोजनार्थ लीजडीड जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त की गई है। उक्त भूखण्ड नीलामी के माध्यम से विक्रय किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर मोटल्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण का प्रस्ताव देते हुए भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त आकार के भूखण्ड पर मोटल्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण हेतु अग्रभाग में 30 मीटर, पार्श्व-1 में 15 मीटर, पार्श्व-2 में 15 मीटर व पीछे 15 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 20 प्रतिशत, मानक एफ.ए.आर. 0.4, अधिकतम एफ.ए.आर 0.8, आच्छादित क्षेत्र 20 प्रतिशत एवं अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर के अनुसार रखने का प्रावधान हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार 30 मीटर, पार्श्व-1 में 15 मीटर, पार्श्व-2 में 15 मीटर व पीछे 15 मीटर सेट बैक्स सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 0.3613 एफ.ए.आर तथा भूतल + प्रथम तल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया हैं। उक्त भवन की ऊँचाई 7.5 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 484.7 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा 487 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई हैं। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य हैं, जिसका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक हैं। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित मोटल्स हेतु संशोधनानुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा

प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। नियमानुसार उक्त भूखण्ड पर 0.4 एफ.ए.आर. देय है, अतः अधिक एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी देय होगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अन्य देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्गमीटर से अधिक का निर्माण करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। एन्वायरमेन्ट क्लियरन्स की जिम्मेदारी भवन निर्माता/विकासकर्ता की होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

4. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 325 योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के एकल व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1791.73 वर्गगज (1498.12 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवन (फ्लैट्स) (मिश्रित भू-उपयोग) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।

आवेदक :- श्री भीकसिंह पुत्र श्री बुलीदान सिंह

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किया गया है। मौके पर भूखण्ड रिक्त है। उक्त भूखण्ड के सामने 40' चौड़ी सड़क स्थित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 1498.12 वर्गमीटर है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवन (फ्लैट्स) (मिश्रित भू-उपयोग) हेतु निवेदन किया गया है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के प्रावधानानुसार मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्ड अनुज्ञेय होंगे, लेकिन व्यावसायिक भूखण्ड के मूल पैरामीटर्स यथावत रहेंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 की तालिका-4 के अनुसार बहुमंजिला आवासीय ईकाई हेतु उक्त आकार के भूखण्ड पर अग्रभाग में 9 मीटर, पार्श्व-1 में 4.5 मीटर, पार्श्व-2 में 4.5 मीटर व पीछे 4.5 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र सेट बैक क्षेत्र के अन्दर, मानक एफ.ए.आर 1.33, अधिकतम एफ.ए.आर 2.25 एवं अधिकतम ऊंचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी को जारी साईट प्लान के अनुसार भूखण्ड पर अग्रभाग में 9 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 4.5 मीटर व पीछे 4.5 मीटर सेट बैक्स दर्शाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा आवासीय फ्लैट्स + वाणिज्यिक (मिश्रित भू-उपयोग)

210

प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें अग्रभाग में 9 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 4.5 मीटर व पीछे 4.5 मीटर सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 1.598 एफ.ए.आर व स्टिल्ट फ्लोर + चार मंजिल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है तथा स्टिल्ट फ्लोर पर वाणिज्यिक दुकानों का भी प्रस्तावित है। उक्त भवन की ऊँचाई स्टिल्ट सहित 14.9 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 43 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा 48 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिनका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित क्षेत्र पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। साथ ही उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लैट्स/निवास इकाईयो अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर स्टिल्ट फ्लोर + स्टिल्ट फ्लोर पर वाणिज्यिक गतिविधि + चार मंजिल पर आवासीय फ्लैट्स प्रयोजनार्थ संशोधनानुसार भवन निर्माण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी। उक्त भूखण्ड पर 1.33 एफ.ए.आर देय है, अतः अनुज्ञेय एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर की अन्तर राशि (बेटरमेन्ट लेवी) प्रार्थी को जमा करानी होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करवाने, फायर अनापत्ति प्राप्त करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

31/12

5. राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 561/6, 562, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4 व 562/5 क्षेत्रफल 42630.72 वर्गगज (35644.41 वर्गमीटर) भूखण्ड पर पूर्व में प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा की निरन्तरता में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत।

आवेदक :- आशियाना हाऊसिंग लिमिटेड

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र क्रमांक F-37/Dir(P)/JDA/Building Permission/79/13/1460, दिनांक 23.12.2013 द्वारा सशर्त जारी की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अनुमोदित भवन मानचित्रों में संशोधन चाहा गया है। मौके पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। भूखण्ड के सामने 30 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स (ग्रुप हाऊसिंग) के निर्माण का प्रस्ताव है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 की तालिका-3 के अनुसार ग्रुप हाऊसिंग (आवासीय फ्लैट्स) हेतु उक्त आकार के भूखण्ड पर अग्रभाग में 15 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत, मानक एफ.ए.आर 1.33, अधिकतम एफ.ए.आर 2.25 एवं अधिकतम ऊंचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा ग्रुप हाऊसिंग (आवासीय बहुमंजिला फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ के संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें अग्रभाग में 15 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 1.5 एफ.ए.आर व भूतल + बारह मंजिल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है। उक्त भवन की ऊंचाई 39.85 मीटर प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री की जन आवास योजना-2015 यह प्रावधान किया गया है कि ग्रुप हाऊसिंग के मानचित्र अनुमोदित करते समय अनुमोदित एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत के बराबर क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लैट्स हेतु आरक्षित रखने होंगे तथा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास हेतु प्रस्तावित किया गया 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. की मूल प्रोजेक्ट के एफ.ए.आर. में गणना नहीं की जावेगी। निजी विकासकर्ताओं के प्रोजेक्ट्स में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान - 1-ए के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने पर बिना बेटरमेन्ट लेवी के एफ.ए.आर. 1.83 तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा व 1.83 एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी देय होगी। इस प्रकार प्रार्थी को प्रस्तावानुसार 4016.82 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लैट्स हेतु आरक्षित रखने होंगे। चूंकि उक्त भूखण्ड 5000 वर्गमीटर से अधिक है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के बिन्दु संख्या 8.15 की पालना की जानी होगी।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 893 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा पार्किंग दर्शाई है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊंचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिनका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लैट्स/निवास इकाईयो अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर

ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर भूतल + बारह मंजिल पर ग्रुप हाऊसिंग आवासीय फ्लैट्स प्रयोजनार्थ संशोधनानुसार भवन निर्माण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड पर यदि नाला इत्यादि संरचनाएँ प्रस्तावित हो तो तदनुसार प्रचलित विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। चूँकि उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक है, अतः उक्त भूखण्ड पर 10 प्रतिशत भूमि पर लैंड स्केपिंग/हरियाली क्षेत्र रखना होगा। प्रार्थी को संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्गमीटर से अधिक का निर्माण करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, जो प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करवाने, फायर अनापत्ति प्राप्त करने, अनुमोदित एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत के बराबर बिल्टअप क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लैट्स हेतु स्थल आरक्षित करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही संशोधित भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

6. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/105 क्षेत्रफल 2056.6 वर्गमीटर भूखण्ड पर पूर्व में प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा की निरन्तरता में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत।
आवेदक :- श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री नन्दकिशोर

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा भवन निर्माण अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 01.05.2013 द्वारा सशर्त जारी की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अनुमोदित भवन मानचित्रों में संशोधन चाहा गया है। मौके पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर क्लब हाऊस का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर उक्त भूखण्ड पर से होकर उच्च क्षमता की विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है।

3/12

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मौके पर हो रहे निर्माण कार्य के क्रम में विस्तृत परीक्षण कर प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।

7. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 222 व 608/222 क्षेत्रफल 16 बीघा भूखण्ड पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत।

आवेदक :- श्री सुगनचन्द कोठारी ट्रस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जोधपुर।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड का आवंटन आवंटन पत्र क्रमांक 2491, दिनांक 13.10.2000 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया था, जिसकी लीजडीड जारी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर लिया गया है व वर्तमान में विद्यालय संचालित है। भूखण्ड के एक हिस्से में हॉस्टल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त की गई है। प्रार्थी निर्मित भवन अनुसार विद्यालय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मौके पर निर्मित भवनो का प्रचलित भवन विनियमों के सन्दर्भ में परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।

8. मानजी का हत्था व्यावसायिक योजना में सेन्द्रल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड को आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 290.50 वर्गमीटर भूखण्ड पर बैंक भवन प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।

आवेदक :- दी जोधपुर सेन्द्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मानजी का हत्था, पावटा, जोधपुर, जरिये प्रबन्ध निदेशक सुरेन्द्र सिंह राठौड़

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन न्यास की मानजी का हत्था व्यावसायिक योजना में दी जोधपुर सेन्द्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया गया है। मौके पर भूखण्ड रिक्त हैं व चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है। उक्त भूखण्ड मुख्य मण्डोर सड़क (एन.एच. 65) पर स्थित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त आकार के भूखण्ड पर व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु हेतु अग्रभाग में 4.5 मीटर, पार्श्व-1 में 3 मीटर व पीछे 3 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र सेटबैक क्षेत्र के अन्दर, एफ.ए.आर. जो भी प्राप्त हो एवं अधिकतम ऊंचाई 12.5 मीटर अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार अग्रभाग में 4.5 मीटर, पार्श्व-1 में 3 मीटर व पीछे 3 मीटर सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 1.74 एफ.ए.आर तथा बेसमेन्ट + भूतल + तीन मंजिल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया हैं। उक्त भवन की ऊंचाई 12.5 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 13 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा 9 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई हैं। अतः पार्किंग हेतु संशोधित

मानचित्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य हैं, जिसका अंकन मानचित्र में नहीं किया गया है, अतः संशोधित मानचित्र अपेक्षित हैं।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक हैं। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित बेसमेन्ट + भूतल + तीन मंजिल हेतु भवन मानचित्र उपरोक्त वर्णित संशोधानुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अन्य देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी। चूकिं उक्त भूखण्ड में पार्श्व (साईड) सैटबैक शून्य है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के बिन्दु संख्या 9.7.1 के प्रावधानानुसार यदि किसी भूखण्ड में पार्श्व (साईड) व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं प्रार्थी सैटबैक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है, तो ऐसी दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण के हित में क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

9. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 की रकबा 5 बीघा (8093.72 वर्गमीटर) भूमि पर हॉस्टल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।

आवेदक :- श्री पूसाराम परिहार, राजस्थान मेघवाल परिषद्, जोधपुर।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 की रकबा 5 बीघा (8093.72 वर्गमीटर) भूमि का महिला छात्रावास प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया गया है।

मौके पर भूखण्ड रिक्त हैं व चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है। उक्त भूखण्ड के पश्चिम में 60' चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में 30' चौड़ी सड़क स्थित है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड कार्नर भूखण्ड है।

प्राधिकरण द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड पर अग्रभाग में 15 मीटर, पार्श्व-1 में 15 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स निर्धारित किये गये हैं एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत, एफ.ए.आर. 1.00 एवं एवं अधिकतम ऊँचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार अग्रभाग में 15 मीटर से अधिक, पार्श्व-1 में 15 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स प्रस्तावित किये जाकर 0.394 एफ.ए.आर (3195.57 वर्गमीटर) तथा भूतल + प्रथम तल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है। उक्त भवन की ऊँचाई 8.9 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 53.25 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा 59 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिसका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूतल + प्रथम तल हेतु संशोधनानुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। चूंकि उक्त भूखण्ड 5000 वर्गमीटर से अधिक है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के बिन्दु संख्या 8.15 की पालना की जानी होगी। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अन्य देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं

Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

10. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 की रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि पर छात्रावास एवं पुर्नवास हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।
आवेदक :- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 की रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि का छात्रावास एवं पुर्नवास केन्द्र प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया गया है। मौके पर निर्माण किया हुआ है। उक्त भूखण्ड 30' चौड़ी सड़क पर स्थित है।

प्राधिकरण द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड पर अग्रभाग में 40', पार्श्व-1 में 20', पार्श्व-2 में 20' व पीछे 20' सेट बैक्स प्रस्तावित किये गये हैं एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र सेटबैक क्षेत्र के अन्दर, एफ.ए. आर. 1.2 एवं एवं अधिकतम ऊचाई 14 मीटर रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार अग्रभाग में 13', पार्श्व-1 में 4.6', पार्श्व-2 में 11.8' व पीछे 17' सेट बैक्स प्रस्तावित किये जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप विस्तृत गणना नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया उक्त भवन निर्माण में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लघन हुआ है, जो मौके पर हुए भवन निर्माण की स्थिति से भी स्पष्ट है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदनकर्ता से विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन विनियमों के विपरीत हुए निर्माण का उल्लेख व विचलन की तालिका उल्लेखित हो, प्राप्त करने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। चूकिं प्रकरण में विचलन मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 के प्रावधानों में प्राधिकरण स्तर पर नियमन सीमा से अधिक है, अतः प्रकरण जनहित में राज्य सरकार को शिथिलता प्रदत्त करने हेतु प्रेषित किया जावे।

11. राजस्व ग्राम घड़ाव के खसरा नम्बर 2/1, 5/1, 155/1, 17/2, 18, 35/1, 40, 41, 43, 59, 144, 154, 162/1 मी., 17/4/1, झींपासनी के खसर नम्बर 223/1 व कड़वड़ के खसरा नम्बर 589 की कुल रकबा 422.17 बीघा भूमि पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संस्थागत प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।
आवेदक :- सहायक रजिस्ट्रार, अमरदीप शर्मा पुत्र श्री अवधेश शर्मा बी-202,
देवाशीष, कृष्णा कोलोनी, पाँच बत्ती सर्किल, रातानाडा, जोधपुर।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम घड़ाव के खसरा नम्बर 2/1, 5/1, 155/1, 17/2, 18, 35/1, 40, 41, 43, 59, 144, 154, 162/1 मी., 17/4/1, झींपासनी के



खसरा नम्बर 223/1 व कड़वड़ के खसरा नम्बर 589 की कुल रकबा 422.17 बीघा भूमि पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संस्थागत प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी, जिसकी लीजडीड जारी है। मौके पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है व कुछ जगह निर्माण कार्य चालू हैं। उक्त भूखण्ड मुख्य नागौर सड़क (एन.एच. 65) पर स्थित है

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार उक्त आकार के भूखण्ड पर संस्थागत निर्माण हेतु हेतु अग्रभाग में 18 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत, जारी साईट प्लान अनुसार एफ.ए.आर. 1 एवं अधिकतम ऊँचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के अनुसार सैटबैक मानक सेटबैक से अधिक प्रस्तावित किये जाकर 0.02026 एफ.ए.आर निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है। उक्त भवन की ऊँचाई 12.55 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 1119.26 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा 1467.33 ई.सी.यू. पार्किंग दर्शाई है। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिसका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अन्य देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति

करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

12. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 646/1, 647, 648, 649, 649/1, 650, 651, 652 व 681/2 के अनुमोदित योजना मानचित्र के क्लब हाऊस प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 4444.00 वर्गमीटर पर क्लब हाऊस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।
आवेदक :- ब्ल्यू बर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री करण तोषनीवाल पुत्र श्री सुशील तोषनीवाल।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड का क्लब हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किया गया है। मौके पर भूखण्ड रिक्त हैं। उक्त भूखण्ड के उत्तर व पूर्व दिशा में 60' चौड़ी सड़के स्थित है, इस प्रकार उक्त भूखण्ड कॉर्नर भूखण्ड है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 4444.00 वर्गमीटर है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 की तालिका-4 के अनुसार क्लब हेतु उक्त आकार के भूखण्ड पर अग्रभाग में 12 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेट बैक्स, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत, मानक एफ.ए.आर 1.33, अधिकतम एफ.ए.आर 2.25 एवं अधिकतम ऊँचाई विनियम 8.11 के अनुसार रखने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा क्लब हाऊस प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें अग्रभाग में 12 मीटर, पार्श्व-1 में 9 मीटर, पार्श्व-2 में 9 मीटर व पीछे 9 मीटर सेटबैक्स प्रस्तावित किये जाकर 1.08 एफ.ए.आर व बेसमेन्ट + प्रथम तल + तीन मंजिल निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अंकन किया गया है। उक्त भवन की ऊँचाई 14.9 मीटर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 120 ई.सी.यू. पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा बेसमेन्ट तथा खुले में पार्किंग दर्शाई हैं। उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में लगाये जाना अनिवार्य है, जिनका अंकन मानचित्र में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा, जिन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके, का प्रावधान आवश्यक है। उक्त प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अवलोकन कर बेसमेन्ट + भूतल + तीन मंजिल पर क्लब हाऊस प्रयोजनार्थ संशोधनानुसार भवन निर्माण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड में प्रस्तावित पार्किंग व्यवस्था के सुचारु प्रबन्धन हेतु सड़को की ओर चारदीवारी का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। प्रार्थी को बेसमेन्ट के सम्बन्ध में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के

बिन्दु संख्या 9.7.2 व 9.7.3 की पालना करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थी को रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लानटेशन की उपलब्धता, भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना होगा। उक्त प्रावधानों की मौके पर सुनिश्चितता के लिये आवेदक से के प्रावधानानुसार अमानत राशि जमा करवाई जावेगी, जिसको मौके पर उक्त प्रावधान विकसित करने के पश्चात् पुनः लौटाई जा सकेगी। प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु देय राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण, Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने, नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क जमा करवाने, फायर अनापत्ति प्राप्त करने तथा अन्य आवश्यक शपथ-पत्र जमा करवाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।

13. राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 579/2 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 757.70 वर्गमीटर पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लेट्स के निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत।

आवेदक :- मैसर्स धारीवाल एण्ड राठी डवलपर्स जरिये भागीदार श्री राजेश राठी वगैराह।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड का आवसीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किया गया है। मौके पर भूखण्ड रिक्त हैं। उक्त भूखण्ड 60' चौड़ी सड़क पर स्थित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 757.70 वर्गमीटर है।


सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि मैसर्स धारीवाल एण्ड राठी डवलपर्स, भूखण्ड संख्या ए, बी, सी, डी, मोतीलाल बिल्डिंग, जोधपुर क्षेत्रफल 6366.36 वर्गमीटर पर भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक 22673-679, दिनांक 20.12.2013 द्वारा जारी की गई थी। उपरोक्त स्वीकृति की शर्त संख्या 4 के अनुसार प्रार्थी को गुप हाऊसिंग के भूखण्ड में कुल प्रस्तावित आवसीय ईकाईयों का 15 प्रतिशत ईकाईया ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लेट्स के निर्माण हेतु बनाई जानी अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. की ईकाईयो हेतु प्रस्तावित भूखण्ड एवं उपरोक्त आवेदित भूखण्ड की आरक्षित दर के अन्तर के गुणक में निर्माण किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रार्थी द्वारा उसके स्वामित्व के राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 579/2 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 757.70 वर्गमीटर पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लेट्स के निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा चाही है।

318

समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रो का अवलोकन कर संशोधनानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के प्लेट्स के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानदण्डो के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का पुनः विस्तृत परीक्षण कर भवन मानचित्र जारी करने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।

उक्तानुसार निर्णयो के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि आयोजना शाखा में भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु लम्बित प्रकरण जिनमें राज्य सरकार से पूर्वानुमति अपेक्षित है, उन प्रकरणो को यथाशीघ्र प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


निदेशक आयोजना 19/11/15
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।


क्रमांक: एफ-37/निदे.आयो./भवन निर्माण समिति II/2015/491-497 दिनांक :- 19.11.15

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।







निदेशक आयोजना 19/11/15
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.11.2015 हेतु प्रकरणों की सूची				
क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	प्रयोजन
1	श्री मोहम्मद अतीक जनरल सैकरेट्री, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	बुझावड	38	संस्थागत
2	श्रीमती नीतू बोधरा व श्रीमती नमिता मण्डारी	जोधपुर	632/38, 632/39 व 632/40	
3	श्री संतोष मेहता पत्नी श्री सुरजराज मेहता एवं श्री कंचन मेहता	जोधपुर	775/75	आवासीय
4	श्रीमती संजिता कच्छवाहा पत्नी श्री निर्मल कच्छवाहा	मण्डोर	1749/1/3 1749/9/2	आवासीय
5	श्री प्रवीण पुत्र श्री मोहनलाल	पाल	297/4	आवासीय
6	प्रेमलता सोनी	चौपासनी जागीर	25/4	आवासीय
7	क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान), कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर	मण्डोर	1047, 1053, 1054, 1056 व 1057	संस्थानिक
8	पी.सी. गोपालाकृष्णन्, उप निदेशक (विकास) स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय जी-312, शास्त्री नगर, जोधपुर	रामपुरा भाटियान्	602/4 व 602/5	औद्योगिक
9	श्रीमती पुष्पा बाडमेरा पत्नी श्री देवकिशन	पाल	33/4/1	आवासीय बहुमंजिला
10	श्री लूणचन्द मालवीय	बासनी बेन्दा	88	होटल के पूर्व अनुमोदित मानचित्रों में संशोधन बाबत्
11	थार हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र बाहेती	चौपासनी जागीर	25/3	आवासीय बहुमंजिला फ्लैट्स
12	श्रीमती मधुलता सोलंकी व श्री विक्रान्त सोलंकी	चौखा	729 मीन	हॉस्टल
13	नवीन मालवीय, प्राम बी रोड, सरदारपुरा, जो.	बासनी बेन्दा	88/5	होटल
14	डॉ. एम.एल.टॉक	पाल	101	आवासीय
15	श्रीमती पाना सारस्वत	मण्डोर	615	आवासीय
16	मैसर्स नाईन ग्लोब इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	बालाकुआ	14	अफोडेबल हाऊसिंग
17	मैसर्स नाईन ग्लोब इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	रलावास	11 से 15	अफोडेबल हाऊसिंग
18	श्री मुकेश धूत एवं श्री अमराराम कुमावत	झालामण्ड	193/03	आवासीय बहुमंजिला
19	मै. वीतराग बिल्डकॉन जरिये निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार	पाल	135/4	आवासीय
20	मै. वीतराग बिल्डकॉन जरिये निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार	पाल	135/4	आवासीय
21	श्रीमती सुनीला	पाल	273/20	आवासीय
22	श्री अभिषेक गुप्ता	मोकलावास	454	आवासीय
23	श्रीमती स्वाति चाण्डक	मोकलावास	459	आवासीय
24	श्री राहुल चाण्डक पुत्र श्री श्यामसुन्दर चाण्डक	मोकलावास	455	आवासीय
25	श्रीमती स्वाती चाण्डक पत्नी श्री राहुल चाण्डक	मोकलावास	459	आवासीय
26	श्री विनय कुमार पुत्र श्री सोहनलाल	चौखा	694	मिश्रित बहुमंजिला

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्रविक्करण
जोधपुर

27	श्री विनय कुमार पुत्र श्री सोहनलाल	चौखा	694	मिश्रित बहुमंजिला
28	श्रीमती मंजू पारिक पत्नी श्री घनश्याम पारिक	मोकलावास	454	आवासीय
29	श्रीमती निकीता पत्नी श्री दीपक पारिक	मोकलावास	458, 459	आवासीय
30	श्रीमती आशा पारिक पत्नी श्री महेन्द्र पारिक	मोकलावास	453, 457, 458	आवासीय
31	श्रीमती आशा पारिक पत्नी श्री महेन्द्र पारिक	मोकलावास	457, 458	आवासीय
32	श्री शेखदीन मोहम्मद पुत्र श्री नूरमोहम्मद	चौपासनी जागीर	66	आवासीय बहुमंजिला
33	श्री मनोज कुमार वाष्णेय, भूखण्ड सं. 15, आशापूर्णा नेनोमेक्स, जोधपुर	खारडा रणधीर	24	आवासीय
34	श्री शिवसिंह पुत्र श्री बिरनसिंह	डिगाडी	133	आवासीय
35	श्रीमती सैण कंवर पत्नी श्री अमरसिंह जेतावत	खारडा रणधीर		आवासीय
36	श्री जगदीश पुत्र श्री हरचन्द्र	उचियारडा	32	फार्म हाऊस
37	श्रीमती साबिया सलीम पत्नी श्री सलीम बागानी	पाल	84, 84/2	आवासीय
38	श्रीमती खिंव कंवर पत्नी श्री जसवन्तसिंह	चौपासनी जागीर	114, 115	आवासीय
39	श्री बलदेव पंजाबी पुत्र श्री मिरचूमल पंजाबी	चौखा	695/1	वाणिज्यिक
40	श्री जगदीश पुत्र श्री चम्पालाल	मथानिया	612/27	गैस गोदाम एवं शोरूम


 12/11/15
 निदेशक आयोजना
 जौनपुर विकास प्राधिकरण
 जौनपुर